उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 2, अंक : 14 ₹ 20/- 16-31 दिसम्बर, 2018

मुम्बई का जिन्ना हाउस

विदेश मंत्रालय के हवाले

जिन्ना दंपत्ति

मुम्बई का जिन्ना हाउस

और पढ़ें...

- पुरुषों और महिलाओं का दावत में एक साथ खाना हराम!
- शेख हसीना ने बांग्लादेश में पुन: बाजी मारी
- सीरिया से अमेरिकी सेना वापस बुलाने का ऐलान
- इस्लामाबाद की 75 प्रतिशत छात्राओं को नशे की लत

RNI No. DELHIN/2017/72722

Vol. 2, अंक 14

16-31 दिसम्बर, 2018

परामर्शदाता
प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह, आशीष रावत

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाईट : www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक एवं प्रकाशक मनमोहन शर्मा द्वारा
भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए
डी-51, प्रथम तल, हौज खास,
नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित
तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा. लि., ए 102/4,
ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II,
नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. मुंबई का जिन्ना हाउस विदेश मंत्रालय के हवाले

II. पुरुषों और महिलाओं का दावत में एक साथ खाना हराम!

III. शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज

IV. कर्नाटक में एक नया मुस्लिम संगठन

V. पार्क में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध

VI. खूंखार जिहादी संगठन का मकड़जाल

विश्व

I. शेख हसीना ने बांग्लादेश में पुनः बाजी मारी

II. नवाज शरीफ को सात साल की सजा

III. पेशावर स्कूल के हमलावरों को मौत की सजा

IV. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के बीच समझौता

V. अमेरिकी फौज की वापसी से फर्क नहीं

VI. पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के पैतृक घरों को खरीदने की तैयारी

पश्चिम एशिया

I. सीरिया से अमेरिकी सेना वापस बुलाने का ऐलान

II. पाकिस्तान को तीन अरब डॉलर देने की घोषणा

III. फिलिस्तीन की संसद भंग

IV. सीरिया में संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास

V. इराक से अमेरिका अपने सैनिक वापस नहीं बुलाएगा

VI. इराक की शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र

अन्य

I. इस्लामाबाद की 75 प्रतिशत छात्राओं को नशे की लत

II. राम मंदिर के निर्माण पर कानून बनाने का विरोध

III. मुस्लिम बहुल देश का सेना बनाने का ऐलान

IV. सूफी संदेश अमन यात्रा

V. जकात फाउंडेशन यूपीएससी में बना सकता है मुस्लिम रिकॉर्ड

VI. अयोध्या में विवादित जगह पर नमाज की अनुमति देने से इनकार

VII. पूर्वी अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले से 20 की मौत

सारांश

पाकिस्तान के प्रवर्तक मोहम्मद अली जिन्ना का मुंबई स्थित बंगला देश के विभाजन के बाद से ही विवाद का विषय बना हुआ था। यह भवन जिन्ना ने अपनी प्रेमिका की याद में बनवाया था इसलिए इससे उसका भावनात्मक लगाव था। जिन्ना की इकलौती बेटी दीना वाडिया ने भी इसको प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ली थी। अब भारत सरकार ने इसे विदेश मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया है।

इस्लामी उग्रवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए एक गिरोह को तार-तार करने में भारतीय गुप्तचर एजेंसियों ने सफलता प्राप्त की है। इस सम्बन्ध में अब तक दस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनका सरगना अमरोहा की एक मस्जिद का मौलवी है। इस गिरोह का मकड़जाल दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में फैला हुआ था।

हरियाणा सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नोएडा में पार्कों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात का सहारा लेकर कुछ अतिवादी मुस्लिम संगठनों ने योगी सरकार को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये संगठन उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है उसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों का जिहाद किसी न किसी रूप में जारी है।

दक्षिण भारत में मुस्लिम संगठन दिन-प्रतिदिन सक्रिय होते जा रहे हैं। केरल के कुख्यात जिहादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ने दिल्ली में अपना मुख्यालय स्थापित करके उत्तर भारत में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक में विभिन्न अतिवादी मुस्लिम संगठनों ने अब एक नया गठबंधन बनाने का फैसला किया है जिसका मकड़जाल राज्य के सभी जिलों में फैला दिया गया है। मुस्लिम संगठनों की इस तरह की सक्रियता एक गम्भीर संकेत है।

बांग्लादेश में हुए हाल के चुनाव में शेख मुजीबुर्रहमान की पुत्री शेख हसीना वाजिद ने सत्ता में पुनः वापसी की है। हसीना वाजिद के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। जब पाकिस्तान के इशारे पर शेख मुजीबुर्रहमान की सपरिवार हत्या कर दी गई थी तब हसीना वाजिद विदेश में थीं। अपने परिवार की जान बचाने के लिए उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी थी और भारत सरकार ने उन्हें शरण दे दी थी। एक दशक तक वह आकाशवाणी के बांग्ला प्रकोष्ठ में काम किया करती थीं। शेख हसीना की जीत से चीन और पाकिस्तान दोनों को गहरा झटका लगा है। पाकिस्तान काफी देर से जमाते इस्लामी की सहायता से वहां पर हिंसा फैलाने का प्रयास करता रहा है।

बॉलीवुड के दो सितारों स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के पेशावर स्थित पैतृक मकानों को पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय का दर्जा देने का फैसला किया है। साफ है कि पाकिस्तान में आज भी भारतीय फिल्म स्टार बेहद लोकप्रिय हैं।

राष्ट्रीय

I

मुंबई का जिन्ना हाउस विदेश मंत्रालय के हवाले

इंकलाब (21 दिसम्बर, 2018) के अनुसार दक्षिणी मुंबई के सबसे महंगे क्षेत्र मालाबार हिल स्थित पाकिस्तान के प्रवर्तक मोहम्मद अली जिन्ना के निवास स्थान जिन्ना हाउस को विदेश मंत्रालय ने अपने कब्जे में लेने का निर्णय किया है। इस भवन का इस्तेमाल सरकारी विदेशी मेहमानों के अतिथि गृह के तौर पर किया जाएगा। इस भवन का असली नाम साउथ कोर्ट है जो काफी सुंदर और वास्तुकला का अनमोल नमूना है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन् 1936 में यह भवन महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बीच कई बैठकों का केन्द्र रहा है। जिन्ना हाउस को विदेश मंत्रालय के कब्जे में लेने की घोषणा विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने की। इस समय यह भवन महाराष्ट्र सरकार के पीडबल्यूडी विभाग की निगरानी में है। इससे पूर्व यह बंग्ला 1948 से लेकर 1983 तक ब्रिटिश हाईकमिश्नर के नियंत्रण में था। यहां उसका कार्यालय और आवास था। इस क्षेत्र के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने सरकार को जिन्ना हाउस के बारे में एक पत्र लिखा था जिस पर विदेश मंत्री ने उत्तर लिखा है कि मुंबई स्थित जिन्ना हाउस को दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तरह सरकारी अतिथियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन्ना हाउस 1936 में बनाया गया था और यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 'वर्षा' के सामने है। इसके स्वामित्व का मामला भारत सरकार और जिन्ना की बेटी दीना वाडिया के बीच कानूनी विवाद अदालत में है। 2007 में दीना वाडिया ने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें इस संपत्ति पर अपना दावा जताया था। नवम्बर 2017 में लंदन में उसका निधन हो गया। ज्ञातव्य है कि जिन्ना हाउस 1936 में ढ़ाई एकड़ भूमि पर बनाया गया था और इसका नक्शा वास्तुकार क्लाउड बैटली ने बनाया था। जिन्ना हाउस संरक्षित भवनों में शामिल है। पाकिस्तान कई बार जिन्ना हाउस को अपने वाणिज्य दूतावास के लिए मांग चुका है। मगर सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

दैनिक सहाफत (21 दिसम्बर) के अनुसार भाजपा के विधायक ने अपने पत्र में जिन्ना हाउस को देश के विभाजन के साजिश का केन्द्र बताया था और उसे एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग की थी। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इसे एक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए लेकिन कई संगठनों ने इसे ध्वस्त करने की भी मांग की थी। बीजेपी के विधायक ने कहा था कि जिन्ना दस साल तक यहां रहा और यहीं देश के विभाजन की साजिश रची गई। इसलिए सरकार को इस भवन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना चाहिए।

2004 में भारत के तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से पकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने मांग की थी कि जिन्ना हाउस को भारत सरकार पाकिस्तान को सौंप दे। खास बात यह है कि जिन्ना ने देश के विभाजन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि भारत सरकार को जिन्ना हाउस उनको दे देना चाहिए क्योंकि मुम्बई उन्हें बहुत पसंद है और जीवन के अंतिम दिन वे यहीं गुजारना चाहते हैं।

हमारा समाज (21 दिसम्बर) के अनुसार भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मुम्बई स्थित जिन्ना हाउस पर पाकिस्तान सरकार का कोई हक नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस मुद्दे में पाकिस्तान कहीं नहीं है। इस संपत्ति पर पकिस्तान का कोई हक नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि पाकिस्तान सरकार को इस पर अपना दावा छोड़ना होगा। यह एक सरकारी संपत्ति है। भारत सरकार ने इसकी मरम्मत करवाने और उसका बेहतर रख-रखाव करने के बाद इसे सरकारी अतिथि गृह के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान निर्माण के आंदोलन का मुम्बई स्थित जिन्ना हाउस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने इस पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। यह पकिस्तान के प्रवर्तक मोहम्मद अली जिन्ना की संपत्ति है। यह हमारी जायदाद है। अगर उसपर कोई कानूनी विवाद है तो

पाकिस्तान निश्चित रूप से भारत के साथ कानूनी लड़ाई न्यायालय में लड़ेगा। जिन्ना हाउस के संपत्ति के मामले में भारत सरकार और दीना वाडिया के बीच का विवाद था। मगर दीना वाडिया का निधन हो चुका है। दीना वाडिया के एकमात्र पुत्र नुस्ली वाडिया हैं जो कि भारत के एक प्रमुख उद्योगपति हैं। वे बॉम्बे डाइंग के मालिक है।

टिप्पणी

किसके लिए बना था जिन्ना हाउस?

कई दशकों से विवाद का केन्द्र बने जिन्ना हाउस के निर्माण की कहानी भी बेहद रोचक है। कहा जाता है कि यह भवन मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी प्रेमिका पत्नी रत्तनबाई उर्फ रत्ती जिन्ना की रिहाइश के लिए बनवाया था। जिन्ना को आमतौर पर बेहद खूश मिजाज और कड़क इंसान माना जाता था। मगर वह भी प्रेम की मकड़जाल में बुरी तरह से उलझ गया। इतिहासकारों के अनुसार 1916 की गर्मी के मौसम में जिन्ना के मुवक्किल और उस समय के भारत के सबसे समृद्ध व्यक्ति सर दीनशॉ पेतित ने जिन्ना को गर्मी की छुट्टियां अपने साथ दार्जिलिंग में बिताने की दावत दी थी। वहीं जिन्ना की मुलाकात दीनशॉ की 16 वर्षीय इकलौती पुत्री रत्ती से हुई। खरबपति बाप की इकलौती बेटी अपने से 25 वर्ष बड़े जिन्ना के प्रेम जाल में उलझ गई। मोहम्मद अली जिन्ना पर पुस्तक लिखने वाली शीला रेड्डी का दावा है कि सर दीनशॉ पेतित को जब यह पता चला कि जिन्ना ने उनकी इकलौती तीक्ष्ण बुद्धि वाली और अपने जमाने की मुंबई की सबसे हसीन लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है तो वे गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने फौरन जिन्ना को अपने घर से बाहर निकाल दिया। मुंबई वापस लौटने के बाद जब उन्हें यह पता चला कि जिन्ना के साथ अब भी उनकी लाड़ली बेटी का प्रेम चल रहा है तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली और बम्बई हाईकोर्ट में याचिका दायर करके उन्होंने यह निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली कि जबतक उनकी पुत्री 18 वर्ष की नहीं हो जाती वह जिन्ना से नहीं मिलेगी। मगर यह अदालती प्रतिबंध भी दोनों प्रेमियों को ज्यादा दिनों तक जुदा नहीं रख सका। जिन्ना के एक अन्य जीवनीकार प्रो. शरीफ अल मुजाहिद के अनुसार जैसे ही 20 फरवरी 1918 को रत्ती 18 वर्ष की हुई वह एक छाते और एक जोड़ी कपड़े के साथ अपने खरबपति पिता के घर से फरार होकर अपने प्रेमी जिन्ना के पास पहुंच गई। जिन्ना रत्ती को जामा मस्जिद ले गए। यहां पर रत्ती ने इस्लाम कुबूल किया और 18 अप्रैल, 1918 को उसका जिन्ना के साथ निकाह हो गया। हालांकि निकाहनामे में मेहर की रकम केवल 1001 रुपये ही तय हुई थी मगर जिन्ना ने रत्ती को सवा लाख रुपये दिए, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखा है, "मैं और रत्ती लगभग एक ही उम्र की थी। लेकिन हम दोनों की परवरिश अलग-अलग ढंग से हुई थी। जिन्ना उन दिनों देश के नामी वकील और उभरते हुए नेता थे। इसलिए रत्ती ने पारसी समुदाय और अपने पिता के जबर्दस्त विरोध के बावजूद भी जिन्ना से शादी की।" कहा जाता है कि कांग्रेसी नेता सरोजिनी नायडू भी जिन्ना को पसंद करती थी। मगर जिन्ना ने कभी उन्हें महत्व नहीं दिया। जिन्ना और रत्ती हनीमून मनाने के लिए महमूदाबाद के राजा के लखनऊ स्थित महल में ठहरे। रत्ती बेहद जिद्दी और मुंहफट थी। दोनों के स्वभाव में भारी अंतर था। जिन्ना बेहद कंजूस थे और वे एक-एक पाई बहुत सोच समझकर खर्च करते थे। जबकि रत्ती बेहद खर्चीली स्वभाव की थी। जिन्ना के लिए अपनी जवान बीबी और दूधमुंही बेटी के नखरों के लिए कोई समय नहीं था। जिन्ना के सचिव और भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री एम.सी. छागला ने अपनी आत्मकथा 'रोजेज इन दिसम्बर' में कहा है, "जब वह जिन्ना के साथ मुकदमों के तैयारी कर रहे होते थे तो रत्ती खूब बन ठन कर आती और जिन्ना की मेज पर बैठकर उनपर इस बात के लिए दबाव डालती की वे मुकदमों की तैयारी छोड़कर उसके साथ बाहर घुमने चलें। जिन्ना प्राय: अपनी पत्नी को झिड़क देते थे। धीरे-धीरे इन दोनों के बीच दूरी बढ़नी शुरू हुई।" कहा जाता है कि रत्ती के आग्रह पर जिन्ना ने उस समय मुंबई के सबसे महंगे इलाके मालाबार हिल में एक भूखंड खरीदकर उस पर जिन्ना हाउस के निर्माण को शुरू करवाया था। इसका निर्माण तीन वर्ष के भीतर हुआ। जिन्ना की उपेक्षा 'नीला गुलाब' रत्ती न सह सकी और उससे तबदिक हो गई। 20 फरवरी, 1929 को मात्र 29 वर्ष की आयु में रत्ती ने जिन्ना के बाजुओं में दम तोड़ दिया। छागला ने अपनी आत्मकथा में कहा है, "जिन्ना ने अपनी प्रेमिका के पसंद का भवन बनवाने में अपनी खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाया था। जिन्ना हाउस के निर्माण पर उस समय नौ लाख रुपये खर्च हुए थे और उसमें इटली के संगमरमर का खूब इस्तेमाल किया गया

था। इस भवन के उद्यान में रत्ती ने अपने पसंद के काफी फूलों के पौधे चुन-चुनकर लगवाए थे।" छागला के अनुसार जब रत्ती के शव को कब्र में उतारा गया और उसपर मिट्टी डालने के लिए जिन्ना से कहा गया तो जिन्ना सुबक-सुबककर बच्चों की तरह रोने लगे। यह पहला और आखिरी अवसर था जब इस पत्थर दिल इंसान को किसी ने रोते हुए देखा था। इसलिए जिन्ना हाउस के साथ जिन्ना का बेहद भावनात्मक लगाव था।

भारत के विख्यात कांग्रेसी नेता एवं पाकिस्तान में भारत के पहले हाई कमिश्नर बाबू श्री प्रकाश ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, "एक दिन शाम के समय मुझे जिन्ना ने अपने पास बुलाया और मुझसे अनुरोध किया कि मुंबई स्थित उसके बंगले जिन्ना हाउस को उससे किसी कीमत पर जुदा न किया जाए। जिन्ना ने नम आंखों के साथ कहा कि इस बंगले की एक-एक ईट के साथ उनकी प्रेमिका रत्ती की यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए वे भारत सरकार से अनुरोध करें कि इस बंगले की मलकियत स्थाई तौर पर उन्हें सौंप दी जाए और इसके लिए वे कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं।" सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जिन्ना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक व्यक्तिगत पत्र लिखकर भी यह बंगला उन्हें सौंपने का अनुरोध किया था। कहा जाता है कि पंडित नेहरू इस बंगले को जिन्ना के हवाले करने को तैयार थे। मगर जब यह प्रस्ताव को तात्कालीन केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री नरहर विष्णु गाडगिल के पास पहुंचा तो उन्होंने इस बंगले को जिन्ना को सौंपने का विरोध करते हुए कहा कि इससे गलत उदाहरण प्रस्तुत होगा। इसके बाद जिन्ना ने बार-बार नेहरू से टेलीफोन द्वारा अपने इस अनुरोध को दोहराया। मगर भारत सरकार जब इसके लिए तैयार नहीं हुई तो जिन्ना ने नेहरू से अनुरोध किया कि यदि उसे यह बंगला सौंपा नहीं जा सकता तो कम-से-कम उसकी भावनाओं का आदर करते हुए उसे इस बंगले का किरायेदार अपनी पसंद का चुनने की अनुमति दी जाए ताकि इस बंगले की सही ढंग से देखभाल हो सके। नेहरू ने जिन्ना का यह अनुरोध मान लिया। जिन्ना की सिफारिश पर इस बंगले का किरायेदार भारत स्थित ब्रिटिश हाई कमिश्नर को बनाया गया। इसी दौरान जिन्ना की मृत्यु हो गई।

II

पुरुषों और महिलाओं का दावत में एक साथ खाना हराम!

इंकलाब (19 दिसम्बर) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी करके किसी भी कार्यक्रम में सामुहिक रूप से पुरुषों और महिलाओं का एक साथ खाने में शामिल होना हराम करार दिया है। यह फतवा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल बड़े-बड़े समारोह में पुरुष और महिलाएं मिलकर खाना खाते हैं। फतवे में कहा गया है कि खड़े होकर खाना इस्लाम में नाजायज है। एक व्यक्ति ने दावत में महिलाओं और पुरूषों के मिलकर खाने और खड़े होकर भोजन करने के बारे में फतवा मांगा था। फतवे में कहा गया है कि मुसलमानों को इन दोनों से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह इस्लाम के अनुरूप नहीं हैं बल्कि इस्लाम के खिलाफ है। विवाह, शादी या कहीं भी खड़े होकर खाना इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ है और यह फतवा जो दावत का आयोजन करते हैं उनपर भी लागू होता है। एक अन्य फतवे में बिना अनुमति के मोबाइल पर किसी के कॉल को रिकॉर्ड करना भी हराम करार दिया गया है और उसे कहा गया है कि यह बहुत बड़ा गुनाह है। फतवे में कहा गया है कि एक दूसरे के बीच जो बातचीत होती है वह अमानत है और उसे बिना अनुमति के रिकॉर्ड करना सरासर गलत है और रिकॉर्ड करने के बाद उसे प्रदर्शित करना भी अमानत में खयानत के बराबर है। इसलिए यह इस्लाम के मुताबिक बहुत बड़ा गुनाह है जिससे मुसलमानों को बचना चाहिए।

अखबार-ए-मशरिक (22 दिसम्बर) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद के फतवा जारी करने वाले मुफ्तियों ने कहा है कि महिला आयोग की ओर से हमें कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जब नोटिस प्राप्त होगा तो उसका कानूनी जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कमीशन कुरान और शरियत में परिवर्तन नहीं कर सकता और न ही किसी को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का कोई हक है। मौलाना इब्राहिम कासमी ने कहा कि फतवों को लेकर स्वार्थी तत्वों द्वारा जिस तरह का शोर मचाया जाता है वह गलत है और वह इस्लाम में खुला हस्तक्षेप है। जब सर्वोच्च न्यायालय

ही हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो किसी भी कमीशन को उनमें हस्तक्षेप करने का क्या हक है? उन्होंने कमीशन की अध्यक्ष रेखा शर्मा को कहा कि वह कोई भी कदम उठाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ ले। इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य फतवे के अनुसार सिर पर नकली बाल लगाना इस्लाम के खिलाफ है और अगर कोई नकली बाल लगाकर नमाज पढ़ता है तो वह कबूल नहीं होगी।

III

शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज

इंकलाब (19 दिसम्बर) के अनुसार उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर कट्टरवादी मुसलमानों द्वारा मुकदमें दर्ज करवाने का अभियान चलाया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि रिजवी ने यह सुझाव दिया था कि बाबरी मस्जिद की विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए हिन्दुओं को दे देनी चाहिए। हाल में उन्होंने एक फिल्म राम जन्म भूमि बनाई है जिसमें हलाला और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मुस्लिम संगठन रजा एकेडमी ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और अनेक थानों में रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास किया था। लेकिन यह संभव नहीं हो सका। अब रजा एकेडमी के प्रबंधक मोहम्मद सईद नूरी के दबाव पर जे.जे. मार्ग पुलिस थाने में रिजवी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। नूरी ने मांग की है कि राम जन्मभूमि नामक फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए और वसीम रिजवी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए वरना मुसलमान देशभर में उनके खिलाफ अभियान चलाएंगे।

अखबार-ए-मशरिक (19 दिसम्बर) के अनुसार उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता राम मंदिर के मामले में देश के मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। रिजवी ने कहा कि हाल में ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक ओर तो राम मंदिर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने की बात कही गई जबकि दूसरी ओर तीन तलाक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बोर्ड ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रब्बै हसनी नदवी बाबरी मस्जिद के दागदार इतिहास को बचाने के लिए उस पर किसी काले नाग की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इसलिए राम मंदिर के मामले में बोर्ड किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इस बोर्ड के लोग कांग्रेस की कठपुतली हैं। इस बोर्ड को कांग्रेस ने ही 1971 में बनवाया था और इसके बाद से ये निरंतर मुस्लिम जनता को धार्मिक मामलों में भी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए गुमराह करता रह है। बोर्ड ने राम मंदिर के मामले में समझौते की बात रद्द करके अपनी अतिवादी मानसिकता का परिचय दिया है। बोर्ड का लक्ष्य बाबरी मस्जिद के मुकदमें को हारकर देश भर में दंगे करवाना है। उन्होंने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड ने एक महीने पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक समझौते का प्रारूप भेजा था जिसमें अयोध्या में राम मंदिर और लखनऊ में मस्जिदे अमन बनाए जाने पर हिन्दू समाज से समझौता करने की बात कही गई थी। मगर इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रद्द कर दिया था। अब ये अतिवादी मुल्लाह इस समझौते पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड राम मंदिर के पक्ष में है।

IV

कर्नाटक में एक नया मुस्लिम संगठन

दावत (22 दिसम्बर) के अनुसार मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए कर्नाटक में एक सक्रिय मुस्लिम संगठन राब्ता-ए-मिल्लत बनाया जाए। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि कर्नाटक की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 60 लाख है और इनमें से मुसलमानों

का अनुपात 13 प्रतिशत है। राज्य में कई मुस्लिम संगठन काफी सक्रिय हैं जिनमें तब्लीगी जमात, जमाते इस्लामी हिन्द, अहले सुन्नत वल जमात, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलेमा हिन्द, मिल्ली काउंसिल, खदाम अल मुस्लिमीन, जमीयत अल कुरैश, जमात मदविया, एसआईओ, एसएसएफ आदि शामिल हैं। पिछले दिनों कर्नाटक में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के बाद भय का वातावरण बन गया था इसलिए जमाते इस्लामी हिन्द ने यह निर्णय किया कि मुसलमानों के संरक्षण और उन्नति के लिए हर जिले में मुसलमानों के एकता फोरम स्थापित किये जाएं। इसलिए 2016 में बंगलुरु में मुसलमानों के सभी संगठनों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इन संगठनों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 75 से अधिक मुसलमान चिंतकों ने भी भाग लिया। इसके बाद यह तय किया गया कि बंगलुरु शहर में सभी मुस्लिम संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए राब्ता-ए-मिल्लत नामक एक नया संगठन बनाया जाए जो कि मुसलमानों के जान व माल, इज्जत और आबरू की रक्षा और उनके मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास करे। इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसमें कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली बाकवी, मौलाना मुफ्ती शबीउल्लाह खान, प्रबंधक मसीही उलूम, मौलाना मुफ्ती इफ्तखार अहमद कासमी, मोहम्मद अतर उल्लाह शरीफ, अमीर जमाते इस्लामी, हाजी अमीर जान, अहले सुन्नत अल जमात, मौलाना ऐजाज अहमद नदवी, मिल्ली काउंसिल, मौलाना मसूद इमरान रशीदी, इमाम जामिया मस्जिद, बंगलुरु, मौलाना सैयद अब्दुल कादिर वाहिद, इमाम, मस्जिद सुन्नत जमात, मौलाना हनीफ अफसर अजीजी, मौलाना शब्बीर अहमद नदवी, जमीयत उलेमा, मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी, जमाते इस्लामी, मौलाना शमसूल हक, अध्यक्ष सुन्नी जमीयत उलेमा, मौलाना जीन अब्दुल दीन, दारूल उलूम, शाह वली उल्लाह, मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी, मौलाना आबिद खुंदमिरी, जमाते मदविया के अतिरिक्त एक कार्यसमिति का भी गठन किया गया जिसमें जमीयते उलेमा, जमीयते अहले हदीस, मिल्ली काउंसिल, सुन्नी उलेमा, खदामे अल मुस्लिमीन, तब्लीगी जमात, एसआईओ, जमीयत अल कुरैश और मस्जिद फेडरेशन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि पिछले तीन साल के प्रयास के बाद राब्ता-ए-मिल्लत संगठन की जिला शाखाएं राज्य के तीस जिलों में से 24 जिलों में स्थापित की जा चुकी हैं। चार जिलों में पहले ही मुसलमानों के संगठन जैसे बीजापुर में मुस्लिम मुतहिदा काउंसिल, शिमोगा में मुस्लिम मुतहिदा मोहाज़, उडुपी में मुस्लिम ओ कोटा, मंगलौर में सेंट्रल मुस्लिम कमेटी पहले ही मौजूद थी। अब पूरे कर्नाटक में मुसलमानों को एकजुट करने के लिए जो प्रयास किये गये थे वह सफल रहे हैं। मुसलमानों को एकजुट करने के लिए मौलाना तौकीर रजा खान, मौलाना आबिद उर आजमी ने विशेष प्रयास किये हैं। बीदर में चार हजार मुस्लिम युवकों का एक शिविर लगाया गया है जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। बंगलुरु में राज्य के सभी जिलों के मुस्लिम संगठन का एक आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक जिले के अधिकारियों ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की।

V

पार्क में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध

इंकलाब (26 दिसम्बर) के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा के पार्कों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई है। सेक्टर 58 के थानाधिकारी ने क्षेत्र के निजी कम्पनियों को एक नोटिस जारी करके उन्हें सूचित किया है कि सेक्टर 58 के पार्क में प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इनमें नमाज भी शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि अक्सर देखने में आया है कि आपकी कम्पनी के मुस्लिम कर्मचारी पार्क में जमा होकर पढ़ने के लिए आते हैं। अब मुझे कहा गया है कि पार्कों में नमाज की अनुमति न दी जाए। आप से यह आशा कि जाती है कि आप अपने सभी कर्मचारियों को यह निर्देश देंगे कि वे नमाज पढ़ने के लिए पार्क में न जाएं। अगर इसके बावजूद भी कोई नमाज पढ़ने के लिए आता है तो इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। दूसरी ओर पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने यह दावा किया है कि बिना अनुमति के पार्कों में हो रही नमाज पर हमने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रतिबंध लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 में अपने एक निर्णय में कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक अनुमति नहीं की जा सकती। पुलिस का दावा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि 2019 के आम चुनाव से पूर्व किसी भी तरह से

धार्मिक माहौल खराब न हों। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि यह फैसला बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा में खट्टर सरकार भी इसी तरह की पाबंदी लगा चुकी है। जिस तरह से कम्पनियों को नोटिस दिया गया है वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी है कि जिस देश में कांवड़ के नाम पर पंद्रह प्रंदह दिनों तक सड़कें रोक दी जाती हो वहां पर नमाज पर पाबंदी लगाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि एक ओर तो मस्जिद बनाने पर प्रतिबंध है। अब ऐसी हालत में मुसलमान नमाज कहां पढ़ें? उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब 2019 के चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है क्योंकि विकास का एजेंडा पूरी तरह पीट चुका है। बहुजन समाज पार्टी के एक अन्य पूर्व सांसद मोहम्मद सालिम अंसारी ने कहा कि यह फैसला सरासर गलत है और यह देश के वातावरण को खराब करने की साजिश है। जामा मस्जिद फतेहपुरी के इमाम डॉ. मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा है कि शरियत के अनुसार अगर किसी जमीन का मालिक उस पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देता तो वहां पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। जमीयत-ए-उलेमा, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मुफ्ती अशफाक अहमद ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाने का किसी को हक नहीं है। मगर अगर सरकार पाबंदी लगाती है तो फिर नमाज नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य डॉ. कासिम रसूल इल्यिास ने कहा कि यह फैसला सरासर गलत है। अगर सरकार पार्क में नमाज के लिए रोकती है तो उसे नमाज पढ़ने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध किया जाना चाहिए।

दैनिक इंकलाब ने इसी अंक में अपने सम्पदाकीय में यह आरोप लगाया है कि इस देश में एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को तबाह व बर्बाद करना चाहता है। समाचारपत्र ने लिखा है कि कुछ महीने पूर्व गुरुग्राम के पार्कों में नमाज पढ़ने को लेकर भगवा ब्रिगेड ने काफी हंगामा मचाया था। इस पर पुलिस ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया और फिर ऐसी 37 जगहों की निशानदेही की गई जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ सकते थे। इनमें से 22 प्लॉट तो ऐसे थे जो कि वक्फ बोर्ड और ईदगांव के थे जबकि 13 प्लॉट सार्वजनिक सम्पत्ति के थे। जहां तक नोएडा का सम्बन्ध है पिछले चार पांच साल से मुसलमान वहां पर पार्कों में नमाज पढ़ रहे थे लेकिन अचानक नोएडा पुलिस ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सार्वजनिक सम्पत्ति पर सबका हक है।

दैनिक अखबार-ए-मशरिक (29 दिसम्बर) ने मुख्य समाचार के रूप में एक समाचार प्रकाशित करके यह आरोप लगाया है कि सरकार ने मुसलमानों को जुमा की नमाज पढ़ने से रोकने के लिए नोएडा के इस पार्क में जानबूझकर पानी भर दिया था और वहां पर नमाज को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की थी। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि इस तरह की गिरी हुई हरकतें भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कर रही है। कांग्रेस के नेता सम्पूर्णानन्द ने नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि नोएडा में लगने वाली आरएसएस की शाखाओं पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।

VI

खूंखार जिहादी संगठन का मकड़जाल

सियासत (27 दिसम्बर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी और उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में छापे मारकर 16 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से बाद में छह व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रवक्ता के अनुसार यह संगठन गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी सहित अन्य कई स्थानों पर धमाके करने की योजना बना रहा था। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस्लामिक स्टेट की प्रेरणा से हरकत-उल-हरब इस्लाम नामक एक संगठन बनाया गया था। इसकी प्रेरणा दुबई में रहने वाले एक विदेशी व्यक्ति ने दी थी। इस आतंकवादी गुट का प्रमुख एक मस्जिद का इमाम बताया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अदालत में पेश करके बारह दिन का रिमांड दिया है। उनके और साथियों की खोज जारी है।

इंकलाब (1 जनवरी) के अनुसार गुप्तचर एजेंसियों ने बाद में अमरोहा और अन्य कई क्षेत्रों से अनेक और आतंकवादियों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन गिरफ्तारियों और गिरोह के बारे में कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आलोक मित्तल के अनुसार पकड़े गए लोगों से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, एक दर्जन कट्टे और एक रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए हैं। इनके कब्जे से 20 अलार्म घड़ियां बरामद हुई हैं जिन्हें ये बम बनाने में इस्तेमाल करने वाले थे। इनके पास से एक सौ से अधिक सीम कार्ड और मोबाइल बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि आने वाले चुनावों में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये गिरफ्तारियां की गई हैं।

इंकलाब (27 दिसम्बर) ने इन गिरफ्तारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम यह नहीं कह सकते कि ये लोग कुसूरवार हैं या बेकुसूर मगर भूतकाल में हमने यह देखा है कि पुलिस जिनलोगों को आतंकवादी होने के आरोपों में लम्बे चौड़े घोषणाएं करके गिरफ्तार करती है उन्हें अदालत बेगुनाह करार देकर छोड़ देती है। खास बात यह है कि तमाम गिरफ्तारियां उस वक्त हुई जब सेकुलर पार्टियां देश के शासन में थीं। झूठे आरोप में पकड़े गए बदनसीबों की पूरी-पूरी जिन्दगी जेल में गुजर गई। जब वे बाहर आए तो किसी सरकार ने उनके आंसूओं का कोई हिसाब नहीं दिया। जांच एजेंसियों ने यह दावा किया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनका सम्बन्ध हरकत-अल-हरब-इस्लाम नामक संगठन से है। इस संगठन का नाम पहले कभी नहीं सुना गया था। इससे पहले काफी लोगों को इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब इसका नाम जुबानों पर नहीं है। आतंकवाद से मुसलमानों का नाम बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जोड़ा गया था। इसकी शुरुआत मार्च 1993 में मुंबई में हुए धमाकों से हुई। मगर बाद में अभिनव भारत का नाम सामने आया तो मालूम हुआ कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित जैसे लोग धमाके करवा रहे थे। यह भी खास है कि इन धमाकों में प्रयोग होने वाला आरडीएक्स नामक विस्फोटक बाजार में नहीं मिलता और इसे विदेशों या सेना से ही प्राप्त किया जा सकता है। मगर हाल में जो लोग पकड़े गए हैं उनके कब्जे से आरडीएक्स की बजाय अन्य विस्फोटक ही बरामद हुए हैं। जहां तक हाल के गिरफ्तारियों का सम्बन्ध है अब देश में एक बार फिर मंदिर-मस्जिद के विवाद को हवा दी जा रही है। मुसलमानों को भीड़तंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। इसलिए सम्भव है कि इससे नाराज होकर कुछ लोगों ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया हो। हालांकि आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ है।

हमारा समाज (28 दिसम्बर) के अनुसार दिल्ली के जफराबाद क्षेत्र में छापे मारकर सात युवकों को पकड़ा गया था जिसमें से बाद में दो को छोड़ दिया गया। आरोपियों के परिवारजनों का आरोप है कि छापा मारनेवाले अपने साथ उनके घरों से कुरान और उर्दू की सभी पुस्तकों को उठाकर ले गए। इमाम सुहैल के पिता हफीज अहमद ने बताया कि वह बैटरी बनाने का काम करता है और उसके उपकरणों को भी गुप्तचर एजेंसियां अपने साथ ले गई हैं और सभी मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। जफराबाद मेन रोड पर आरोपी जफर के परिवारजन जैकेट बनाने का काम करते हैं। उनके घर से काफी मात्रा में जैकेटें भी जांच एजेंसियां अपने साथ ले गई हैं। घर में रखे पांच लाख की नकदी भी जांच एजेंसियां अपने साथ ले गई हैं।

इंकलाब (28 दिसम्बर) के अनुसार जमीयत-ए-उलेमा, जमाते इस्लामी और ऑल इंडिया मुस्लिम एकता कमेटी आदि अनेक संगठनों ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के परिवारजनों से जाकर मुलाकात की और उन्हें पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों का किसी आतंकवादी संगठन से कोई वास्ता नहीं है।

दैनिक सहाफत (28 दिसम्बर) के अनुसार जमीयत-ए-उलेमा के महामंत्री मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि उनके संगठन की ओर से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जो लोग पकड़े गए हैं वे गरीब हैं इसलिए कानूनी सहायता के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराने का फैसला भी किया गया है।

इंकलाब (30 दिसम्बर) के अनुसार आतंकवादियों ने श्रीनगर के जामा मस्जिद में मनबर पर चढ़कर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का झंडा लहराया। इस अवसर पर मस्जिद में इस्लाम और आईएसआईएस के समर्थन में नारेबाजी भी गई। इस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी किया गया है। झंडा लहराने वाले नौजवान नकाबपोश थे।

विश्व

I

शेख हसीना ने बांग्लादेश में पुनः बाजी मारी

इंकलाब (1 जनवरी, 2019) के अनुसार बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने चौथी बार सत्ता की बागडोर सम्भाल ली है। हालांकि विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि वे धांधली करके सत्तारूढ़ हुई हैं। चुनाव आयोग के सचिव हलालुद्दीन ने चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि अवामी लीग और उसकी समर्थक पार्टियों ने संसद की 300 में से 288 सीटों पर विजय हासिल की है जबकि विपक्षी दलों को मात्र 6 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। ज्ञातव्य है कि 71 वर्षीय शेख हसीना गत एक दशक से बांग्लादेश में सत्तारूढ़ हैं। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान की पुत्री हैं जिनकी सपरिवार हत्या कर दी गई थी। 1986 से 1988 तक और फिर 1991 से 1996 तक और 2001 से 2006 तक वह विपक्षी दल की नेता रहीं। जबकि 1996 से 2001, 2009 से 2014, 2014 से 2018 तक वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 1981 से वह बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष हैं। जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि उन्होंने अपने सभी विपक्षी नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में बंद कर रखा है। उनकी प्रमुख विरोधी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया भ्रष्टाचार के आरोपों में 17 वर्ष कैद की सजा भुगत रही हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने चुनावों की पारदर्शिता पर संदेह व्यक्त किया है जबकि मानवाधिकारों के संरक्षक संगठनों का आरोप है कि शेख हसीना एक तानाशाह के रूप में काम कर रही हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन के 47 उम्मीदवारों ने मतदान समाप्त होने से पूर्व ही धांधली और डराने धमकाने का आरोप लगाकर चुनाव से पृथक होने की घोषणा कर दी थी। चुनावों में बांग्लादेश के विभिन्न नगरों में हुई झड़पों में कम-से-कम 20 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। विपक्षी दलों के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का भी आरोप लगाया गया है। मतदान वाले दिन बांग्लादेश के इंटरनेट सर्विसेस और निजी न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी और देश में पत्रकारों को भारी संख्या में गिरफ्तार किया गया था।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (30 दिसम्बर) ने अपने सम्पादकीय में बांग्लादेश में हुए आम चुनावों का स्वागत किया है और यह आशा व्यक्त की है कि बांग्लादेश के साथ भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहेंगे। समाचारपत्र ने कहा है कि चीन क्योंकि बांग्लादेश में अपने पैर पसार रहा था इसलिए उसे रोकने के लिए भारत को बांग्लादेश के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में नया स्वर्णयुग की शुरुआत हुई है। 2006 से सत्ता से बाहर रहने वाली खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल इरशाद की जातीय पार्टी, जमाते इस्लामी और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक अन्य राष्ट्रीय एकता फ्रंट बनाया था मगर यह प्रयास विफल रहा और शेख हसीना ने पुनः अपना विजय का पताका लहराया। खास बात यह है कि इस चुनाव में भारत के खिलाफ घृणा प्रचार नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में सुधार हो यह प्रयास किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : देश के अधिकांश उर्दू समाचार पत्रों ने बांग्लादेश के चुनावों को महत्व नहीं दिया। सहाफत (1 जनवरी) ने इसे दो कॉलमी समाचार के रूप में प्रकाशित किया है जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और अन्य उर्दू समाचारपत्रों ने इसे अंदर के पृष्ठों पर प्रकाशित किया है।

II

नवाज शरीफ को सात साल की सजा

अखबार-ए-मशरिक (25 दिसम्बर) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सात साल कैद की सजा सुनाई गई है और उनपर ढ़ाई करोड़ डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि फ्लैग शीप केस से उन्हें

बरी कर दिया गया है। जज अरशद मलिक ने उन्हें अदालत में सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवसर पर नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के हजारो समर्थक मौजूद थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया। इस मुकदमें में नवाज शरीफ 130 बार अदालत के सामने पेश हुए। इनमें से 70 बार जज मोहम्मद बशीर के सामने और 60 बार अरशद मलिक के सामने पेश हुए। फ्लैगशीप केस में उन्हें पहले 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी मगर बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का आरोप है कि नवाज शरीफ ने अपने सत्ताकाल में अपने बेटों के नाम पर बेनामी संपत्ति अर्जित की और उन्होंने कतर में अल अजीजिया स्टील मील खरीदी। इसके अतिरिक्त अपने बेटे हसन नवाज को कारोबार चलाने और फ्लैट खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध की। अदालत में सिर्फ पन्द्रह वकीलों को दाखिल होने की अनुमति दी गई थी। अदालत के बाहर हजारों कार्यकर्ता इक्ट्ठे हो गए थे जो कि नवाज शरीफ के पक्ष में नारे लगा रहे थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तान पुलिस के 1000 कर्मियों को नियुक्त किया गया था। नवाज शरीफ ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और राजनीतिक कारणों से उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने पाकिस्तान के वर्तमान शासकों पर आरोप लगाया कि वे अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जानबूझकर अपने विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। अदालत ने नवाज शरीफ की सभी संपत्ति को जब्त करने का निर्देश भी दिया है और उनके दोनों बेटों के गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं।

अखबार-ए-मशरिक (26 दिसम्बर) के अनुसार नवाज शरीफ के खिलाफ दिए गए फैसले पर पाकिस्तान में मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है। राजनीतिक क्षेत्रों का दावा है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अभी और कई पाकिस्तानी नेताओं को अपना निशाना बनाएगा। जबकि पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं का आरोप है कि नवाज शरीफ को राजनीतिक बदले की भावना से बलि का बकरा बनाया गया है। पुलिस ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके अदियाला जेल भेज दिया है। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ हुए फैसले से पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर हुआ है इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए पाकिस्तानियों को एकजुट हो जाना चाहिए।

III

पेशावर स्कूल के हमलावरों को मौत की सजा

इंकलाब (17 दिसम्बर) के अनुसार पेशावर में चार वर्ष पूर्व एक आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए एक आतंकवादी हमले के सिलसिले में 15 आतंकवादियों को मौत की सजा दी गई है। इनकी सजा की पुष्टि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने कर दी है। ज्ञातव्य है कि इस हमले में 150 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। सेना की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 15 लोगों को मौत की सजा के अतिरिक्त 20 अन्य लोगों को विभिन्न अवधि की सजाएं दी गई हैं।

अखबार-ए-मशरिक (23 दिसम्बर) के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने चौदह आतंकवादियों को फांसी दी जाने की पुष्टि की है। इन पर सैनिक दस्तों और पुलिस पर हमला करने और नागरिकों की हत्या करने के आरोप थे। इन्होंने 13 सैनिकों और तीन नागरिकों की हत्या की थी और 119 लोग जख्मी हुए थे। इन आतंकवादियों के कब्जे से अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुए थे। इनकी फांसी की सजा विशेष अदालत ने सुनाई है। जिन लोगों को फांसी की सजा दी जा रही है उनका संबंध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से है। ज्ञातव्य है कि एक महीने में यह तीसरा अवसर है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने चौदह व्यक्तियों को फांसी पर लटकाने की पुष्टि की है।

IV

अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के बीच समझौता

इत्तेमाद (16 दिसम्बर) के अनुसार काबुल में तीन देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिसमें अफगानिस्तान में शांति, क्षेत्रीय एकता और स्थिरता पर विचार विमर्श किया गया वार्ता में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह

महमूद कुरैशी ने कहा कि इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी ने भाग लिया है। इस बैठक में यह तय किया गया है कि आतंकवाद के उन्मूलन और क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि करने के बारे में तीनों देश प्रयास करेंगे। इस अवसर पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी मौजूद थे। इस त्रिपक्षीय सम्मेलन का लक्ष्य अफगानिस्तान में स्थिर शांति का हल तलाश करना है। वार्ता के पहले चरण में अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन अफगान तालिबान से समझौते की वार्ता शुरू की गई है जबकि दूसरे चरण में तीनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों में वृद्धि करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार होगा। इस बैठक में तीनों देशों के राजनीतिक, सिविल और सैनिक अधिकारी शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चीन की ओर से पहल करने से वातावरण शुद्ध रहेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों ही अफगानिस्तान का कल्याण, विकास, शांति और स्थिरता चाहते हैं। इससे पहले चीन में इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हो चुका है। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का सम्पूर्ण उन्मूलन चाहता है और दोनों देशों की सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना चाहता है। हम इस सम्बन्ध में गुप्तचर सूचनाओं का आदान प्रदान भी आपस में करना चाहते हैं।

अखबार-ए-मशरिक (20 दिसम्बर) के अनुसार अफगान, तालिबान और अमेरिका के बीच संयुक्त अरब अमीरात में शांति वार्ता शुरू हो रही है। अमेरिका ने मांग की है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापना के प्रथम चरण के रूप में अगले छह महीने के लिए जंगबंदी की घोषणा करें जबकि तालिबान की मांग है कि इस घोषणा के पहले अमेरिका तालिबान के सभी कैदियों को रिहा करे। सूत्रों के अनुसार अमेरिका और नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान से क्रमशः वापस बुलाना चाहता है। इसके बाद अफगानिस्तान के प्रशासन और सुरक्षा स्थिति पर वार्ता की जाएगी। अफगान विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान भी इन दोनों के बीच बातचीत की सफलता के लिए खास रुचि ले रहा है।

अमेरिका और अफगान तालिबान की वार्ता पर टिप्पणी करते हुए जमाते इस्लामी के मुखपत्र **दावत** (22 दिसम्बर) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच होने वाली वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात में किया है। वॉयस ऑफ अमेरिका के अनुसार इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जलमे खलीलजाद कर रहे हैं। जबकि इस वार्ता में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। अमेरिका ने सितम्बर में खलीलजाद को अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया था और इसके पहले खलीलजाद और अफगानिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच तीन बार भेंट हो चुकी है और दो बार कतर में भी मिल चुके हैं। वार्ता का यह सिलिसिला मास्को में हुए सम्मेलन के बाद शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह विश्व बिरादरी के सहयोग से अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए प्रयास कर रहा है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अमेरिका उग्रवादी संगठन तालिबान से वार्ता करने में क्यों रुचि ले रहा है? दरअसल वह अफगानिस्तान की जटिल विवाद से निकलना चाहता है और वहां से अपनी सेनाओं को वापस बुलाना चाहता है। अफगानिस्तान में जो सेना रखने पर भारी खर्च हो रहा है उसे अमेरिका खत्म करना चाहता है। इसके साथ ही आतंकवादी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जो सुरक्षित पनाहगाह बना रखी है उन्हें भी अमेरिका खत्म करना चाहता है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (22 दिसम्बर) के अनुसार अबूधाबी में अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच जारी वार्ता बिना किसी विधिवत घोषणा के समाप्त हो गई है। इस वार्ता के बारे में सिर्फ अफगान तालिबान ने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से वापसी के बारे में बातचीत हुई है। मगर युद्धविराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है। तालिबान ने कहा है कि वह इस वार्ता को आगे भी जारी रखने के पक्ष में है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वार्ता से अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि खलीलजाद ने काबूल में अफगानिस्तान की सरकारी एजेंसी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वे अभी यह समझ नहीं पा रहे कि क्या अफगान तालिबान वास्तव में शांति चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अफगान सरकार सत्रह साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के इच्छुक है। मगर अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या तालिबान भी यही चाहता है? हमें अभी और इंतेजार करना होगा और यह प्रयास करना होगा कि अगले वर्ष अप्रैल महीने में अफगान राष्ट्रपति के होने वाले चुनाव से पहले वहां पर शांति स्थापित हो जाए। उन्होंने साफ किया कि

अमेरिका यह चाहता था कि अफगानिस्तान में शांति के बारे में तालिबान से कोई समझौता हो लेकिन तालिबान अफगान सरकार से सीधे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। तालिबान का कहना था कि अफगान सरकार अमेरिका ने लादी हुई है। इसलिए वे इस कठपुतली सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे। उनकी वार्ता सीधे अमेरिका से होगी। जबकि अमेरिका का यह प्रयास है कि सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान तालिबान पर दबाव डालकर उन्हें अफगानिस्तान सरकार से सीधे बातचीत करने के लिए तैयार करने का प्रयास करे। अमेरिका ने अबूधाबी में हुई वार्ता में तीन महीने के लिए युद्धविराम का सुझाव दिया था मगर इस संदर्भ में तालिबान ने कोई भी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे इस सम्बन्ध में अपने हाईकमान से बातचीत करके ही कोई फैसला करेंगे।

V

अमेरिकी फौज की वापसी से फर्क नहीं

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (23 दिसम्बर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बारे में जो घोषणा की है उसे अफगानिस्तान सरकार विशेष महत्व नहीं दे रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अफगान सरकार और सेना इस स्थिति में है कि वह अपने बल पर देश की रक्षा कर सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमेरिका के सरकारी प्रवक्ताओं ने यह इशारा दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान में तैनात पंद्रह हजार अमेरिकी सैनिकों में से सात हजार को वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बीस हजार नाटो देशों के सैनिक हैं जिनका कार्य अफगानी सेना को प्रशिक्षण देना है ताकि वे आईएस और तालिबान के आतंकवाद का सामना कर सकें। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता फजल फाजली ने कहा कि कुछ हजार विदेशी सैनिकों के देश से वापस चले जाने का अफगानिस्तान की समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिकी योजना के अनुसार अमेरिकी सैनिकों की वापसी का सिलसिला अगले महीने से शुरू हो जाएगा जबकि शेष सेना को बाद में वहां से हटाया जाएगा। अमेरिकी कमांडर इस दुविधा में हैं कि क्या अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान की सेना आतंकवादियों का सामना कर सकेगी या नहीं? दूसरी ओर नाटो के प्रवक्ता ने बताया कि नाटो अफगानिस्तान में अपना मिशन जारी रखेगा। हमारा यह प्रयास होगा कि अफगानिस्तान उन आतंकवादियों के केन्द्र के रूप में न उभरे जो कि हमें धमकियां देते रहते हैं।

VI

पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के पैतृक घरों को खरीदने की तैयारी

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (23 दिसम्बर) के अनुसार पाकिस्तान में ख़ैबर पख़्तूनख़्वा की सरकार ने राष्ट्रीय विरासत करार दी जा चुकी 25 संपत्तियों को खरीदने का फैसला किया है। इनमें हिन्दी फिल्मों के विख्यात फिल्म स्टार पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के पैतृक घर भी शामिल हैं। पृथ्वीराज कपूर का पैतृक घर कपूर हवेली के नाम से विख्यात है और यह पेशावर के किस्सा ख़्वानी बाजार में स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान विशेश्वरनाथ कपूर ने 1918-1922 के बीच करवाया था। राज कपूर और उनके चाचा त्रिलोक कपूर का जन्म इसी भवन में हुआ था। सरकार ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया है। जहां तक दिलीप कुमार उर्फ युसूफ खाँ का सम्बन्ध है उनका पैतृक घर भी इसी क्षेत्र में है। यह सौ साल पुराना घर भी काफी खस्ता हालत में है। नवाज शरीफ सरकार ने 2014 में इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था।

पश्चिमी एशिया

I

सीरिया से अमेरिकी सेना वापस बुलाने का ऐलान

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (21 दिसम्बर) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने सीरिया में इस्लामी उग्रवादी संगठन आईएस के खिलाफ युद्ध जीत लिया है इसलिए अमेरिका ने सीरिया से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया है। उनकी यह घोषणा अमेरिका के सैनिक और राजनयिक क्षेत्रों के लिए अप्रत्याशित थी। उनकी इस घोषणा के बाद सोशल और मुख्य धारा की मीडिया में यह गरमा–गर्म चर्चा शुरू हो गई जिसके उत्तर में व्हाइट हाउस और सैनिक मुख्यालय पेंटागण को स्पष्टीकरण जारी करने पड़े। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान दूसरे चरण में दाखिल हो रहा है। इसलिए अमेरिका ने सीरिया से अपने सैनिक वापस बुलाने शुरू कर दिये हैं। प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया कि इस्लामिक स्टेट को भले ही पराजित कर लिया गया हो मगर सीरिया में सेना का अभियान खत्म नहीं किया जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सेनाओं ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कब्जे से अपने क्षेत्र आजाद करवा लिए हैं। मगर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इस स्पष्टीकरण के बाद ट्रम्प ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जीत का दावा करते हुए सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की भी घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने इस्लामिक स्टेट को पूरी तरह से पराजित कर दिया है और हमारे सैनिक वापस आ रहे हैं। हम जीत गए हैं। किन्तु सैनिक सूत्रों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि सीरिया से अमेरिकी सेनाओं को हटाने में कितना समय लगेगा? एक अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि सैनिक दस्तों की वापसी के निर्णय के बाद उनकी वापसी में दो महीने से तीन महीने तक का समय लग सकता है। प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया कि इस्लामिक स्टेट के फौजी सीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इक्ट्ठे हो रहे हैं। उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका को यह विश्वास है कि सीरिया में मौजूद मलेशिया अमेरिकी सेना के सहयोग से इस्लामिक स्टेट के आखिरी गढ़ का भी सफाया कर देगा। सीरिया में इस वक्त दो हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जो कि अमेरिका के सहयोगी संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और कुर्द योद्धाओं को इस्लामिक स्टेट के साथ जंग करने में सहयोग दे रहे हैं। इनको वायू सेना का समर्थन भी प्राप्त है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अभी तक सीरिया से जिहादियों का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हुआ है। एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और उसके इजरायल पर होने वाले प्रभाव पर विचार करेंगे और इजरायल की सुरक्षा को हर कीमत पर बनाए रखा जाएगा।

II

पाकिस्तान को तीन अरब डॉलर देने की घोषणा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (22 दिसम्बर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान में उत्पन्न विदेशी मुद्रा संकट को दूर करने के लिए अबूधाबी विकास फंड से पाकिस्तान को तीन अरब डॉलर देने की घोषणा की है। यह धनराशि जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी जाएगी। निधि ने यह कहा है कि पाकिस्तान को फंड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारी पाकिस्तान से पूरानी दोस्ती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त अरब अमीरात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इससे पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का नया युग शुरू होगा। ज्ञातव्य है कि इस वक्त पाकिस्तान को बारह अरब डॉलर के वित्तीय घाटे का संकट है। इस सिलसिले में उसने विभिन्न देशों से सहयोग मांगा है। सउदी अरब ने इससे पूर्व पाकिस्तान को तीन अरब डॉलर

उपलब्ध कराने और तीन अरब डॉलर के तेल का भुगतान बाद में करने की घोषणा की है। वैसे सउदी अरब से पाकिस्तान को अब तक दो अरब डॉलर मिल चुके हैं। अब एक अरब डॉलर की धनराशि और पाकिस्तान को दिए जाने की सम्भावना है।

III

फिलिस्तीन की संसद भंग

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (24 दिसम्बर) के अनुसार फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने फिलिस्तीनी संसद भंग कर दी है और आने वाले छह महीने में देश में संसदीय चुनाव करवाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति अब्बास ने बताया कि यह निर्णय अदालत के निर्देश पर किया गया है जिसने देश में संसदीय चुनाव करवाने का हुक्म दिया है। जॉर्डन के नगर रामल्ला में अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकियों को मना कर दिया है। मगर हम खामोश हैं। हम अमेरिकियों के किसी भी बात को मानने वाले नहीं हैं। येरुशलम के नाम पर कोई सौदा नहीं किया जाएगा। क्योंकि यह फिलिस्तीनी कौम की अनादि काल से राजधानी है। हम इजरायलियों के अत्याचार को और सहन नहीं करेंगे और न ही अमेरिका से कोई आशा रखेंगे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी नेशनल काउंसिल और केन्द्रीय काउंसिल के निर्णय को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के विभिन्न गुटों की ओर से मिस्र द्वारा जो एकता का प्रयास किया जा रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। बताया जाता है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने कई अरब देशों के दूतावासों को येरुशलम में स्थानान्तरण करने का सुझाव दिया है।

IV

सीरिया में संयुक्त अरब अमीरात का दूतावास

इंकलाब (28 दिसम्बर) के अनुनसार संयुक्त अरब अमीरात ने सात साल के बाद सीरिया में पुनः अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ज्ञातव्य है कि 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने दमिश्क में अपना दूतावास बन्द कर दिया था। सीरिया के सूचना मंत्री के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने यह फैसला बशर अल असद के साथ अपने सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए किया है। सीरिया के सूचना मंत्रालय की ओर से पत्रकारों को इस दूतावास के खोले जाने के समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। ज्ञातव्य है कि हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सीरिया से अपने सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की है।

V

इराक से अमेरिका अपने सैनिक वापस नहीं बुलाएगा

इंकलाब (28 दिसम्बर) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अचानक इराक पहुंच गए और उन्होंने वहां घोषणा की अमेरिका का इरादा सीरिया से अपनी सैनिक बुलाने का नहीं। अमेरिकी सैनिक वापस बुलाए जाने के घोषणा के बाद ट्रम्प का युद्धग्रस्त किसी भी क्षेत्र में यह पहला दौरा है। अमेरिका ने इराक में अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की और उनके साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया। ज्ञातव्य है कि ट्रम्प अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में अमेरिकी सेनाओं को भेजने को एक भयानक भूल बता चुके हैं और उन्होंने हाल में ही अफगानिस्तान से 14 हजार और सीरिया से तीन हजार अमेरिकी फौजों को वापस बुलाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जरूरत पड़ी तो इराक को फौजी

अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दिनों अमेरिका आर्थिक संकट का शिकार है और आठ लाख सरकारी कर्मचारी क्रिसमस के दिनों में भी अपना वेतन नहीं पा सके हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिका और इराक के मतभेदों के कारण इराक के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल माहदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच होने वाली बातचीत को रद्द कर दिया है। बताया जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इराक के प्रधानमंत्री से वार्ता करना चाहते थे मगर इराक के प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। इराक के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मतभेदों के कारण यह मुलाकात रद्द कर दी गई है। प्रवक्ता के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने इराक के प्रधानमंत्री से सीरिया से सैनिक बुलाए जाने के बारे में वार्तालाप की थी और इसके बाद इराकी प्रधानमंत्री ने उन्हें इराक का दौरा करने की दावत दी थी। राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी पत्नी ने इराक की अमेरिकी छावनियों का दौरा किया

VI

इराक की शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र

इंकलाब (31 दिसम्बर) के अनुसार जिहादी संगठन आईएसआईएस से सम्बन्ध रखने के आरोप लगाए जाने के बाद इराक की शिक्षा मंत्री शायमा अल हयाली ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ज्ञातव्य है कि इराक में इस्लामी आतंकवाद का शिकार होने वालों की संरक्षक समिति के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि जब इस्लामिक स्टेट ने मोसुल पर कब्जा किया था तो इस महिला के इस आतंकवादी संगठन से रिश्ते थे। उन्होंने यह भी कहा कि शायमा अल हयाली का सगा भाई आईएसआईएस का एक कमांडर है। ज्ञातव्य है कि इस महिला को अल बन्ना एकता की ओर से मंत्री मनोनीत किया गया था। इस गठबंधन में अल फतह और स्टेट ऑफ लॉ के दो गुट शामिल थे। अल हयाली ने कहा कि उनका किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं रहा है और उन्होंने किसी भी दल या ग्रुप के साथ काम नहीं किया है। ज्ञातव्य है कि इराकी संसद ने 22 दिसम्बर को शायमा अल हयाली के मंत्री बनाए जाने की पुष्टि की थी। सोशल मीडिया पर वायरल किए गए एक वीडियो के अनुसार उसके भाई लैथ अल हयाली इस संगठन से जुड़ा हुआ है और वह एक विभाग का निर्देशक है।

अन्य

I

इस्लामाबाद की 75 प्रतिशत छात्राओं को नशे की लत

अखबार-ए-मशरिक (23 दिसम्बर) के अनुसार पाकिस्तान के गृहमंत्री शहरयार खान अफरीदी ने एक बयान में यह दावा किया है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाली 75 प्रतिशत छात्राएं और 55 प्रतिशत छात्र मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। उनके इस बयान के बाद शिक्षकों और अन्य सामाजिक संगठनों ने उनके आंकड़ों को सही मानने से इनकार कर दिया है। अफरीदी ने दावा किया कि हाल में ही एक संगठन की ओर से जो गुप्त सर्वेक्षण कराया गया था उसके बाद उसके यही निष्कर्ष हैं। स्कूलों के प्रबंधकों का दावा है कि छात्र-छात्राओं में मादक पदार्थों का इस्तेमाल हालांकि बड़ी तेजी से बढ़ रहा है परन्तु यह दावा कठिन है कि कितने प्रतिशत बच्चे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। पकिस्तान के सामाजिक मामलों के मंत्री शिरीन मजारी का कहना है कि यह बात सही है कि नशीले पदार्थ के इस्तेमाल करने वालों की संख्या में हालांकि 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु यह कहना कठिन है कि 75 प्रतिशत छात्राएं मादक पदार्थों का इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में मादक पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठन के डॉ. सदाकत अली ने गृहमंत्री के इन आंकडों को गलत बताया है। अक्टूबर 2016 में सीनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने साउथ एशियन स्टडी इंस्टीट्यूट नामक संगठन की एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि इस्लामाबाद के 40 स्कूलों में पढ़ने वाले 400 बच्चे नशे का इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में नशे की लत ज्यादा है। वहां पर 53 प्रतिशत बच्चे नशा का इस्तेमाल करते हैं जबकि सरकारी स्कूलों में यह संख्या केवल दो प्रतिशत है। इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में छह तरह के मादक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान से मादक पदार्थ भारी मात्रा में पाकिस्तान में आ रहे हैं जिनका शिकार बच्चे हो रहे हैं।

II

राम मंदिर के निर्माण पर कानून बनाने का विरोध

इंकलाब (17 दिसम्बर, 2018) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक मौलाना रब्बै हसनी नदवी की अध्यक्षता में हुई। अधिवेशन के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता जफर याब जिलानी ने पत्रकारों को बताया कि अगर संसद में राम मंदिर के निर्माण के बारे में कोई कानून बनाया गया या सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। जिलानी ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जबकि कमाल फारूकी ने कहा कि इस देश में इस मुद्दे पर कुछ लोगों द्वारा जो साम्प्रदायिकता फैलाई जा रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसका जवाब दिया जाना चाहिए। कासिम रसूल इल्यिास ने कहा कि बोम्मई केस में अदालत के फैसले के बाद हालांकि अध्यादेश लाना सम्भव नहीं है मगर अगर चोर दरवाजे से कोई अध्यादेश लाया जाता है तो बोर्ड उसका कानूनी मुकाबला करेगा। जिलानी ने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर की आड़ में साम्प्रदायिकता फैलाई जा रही है वह देश के लिए बेहद खतरनाक है और सर्वोच्च न्यायालय को इस पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की ओर से दिए गए बयानों की ओर हमने सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान दिलवाया था। न्यायालय का कहना है कि इस तरह के मामले को हमारे सामने पेश न करें। हम इससे प्रभावित होने वाले नहीं है। वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. सैयद कासिम रसूल इल्यिास ने कहा कि देश भर में शरई अदालतें स्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका देश के मुसलमानों ने भारी स्वागत किया है। इससे देश की न्याय व्यवस्था पर भी बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में 14 नई शरई अदालतें स्थापित की गई हैं और शीघ्र ही इसमें विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तीन तलाक के बारे में

सरकार कोई कानून पास करवाती है तो यह मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम विभिन्न दलों के सांसदों से मिलकर तीन तलाक के बारे में मुसलमानों के दृष्टिकोण से उन्हें अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के महिला विभाग की ओर से देशभर में मुस्लिम महिलाओं के जो सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। उसमें अब तक दो करोड़ महिलाओं ने भाग लिया है। इन सम्मेलनों में यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर तीन तलाक के खिलाफ कोई कानून बनाया गया तो यह संविधान के खिलाफ होगा और महिलाएं उसका डंटकर विरोध करेंगी। आनेवाले महीनों में दो दर्जन से अधिक सेमिनार इस सम्बन्ध में आयोजित किए जाएंगे।

अखबार मशरिक (15 दिसम्बर) के अनुसार रब्बै हसनी नदवी ने यह दावा किया कि इस समय देश में साठ नई शरई अदालतें शुरू की जा चुकी हैं और जल्द ही उनकी संख्या में और वृद्धि की जाएंगी।

III

मुस्लिम बहुल देश का सेना बनाने का ऐलान

इंकलाब (16 दिसम्बर) के अनुसार यूरोप के मुस्लिम बहुल देश कोसोवो ने अपनी सेना बनाने की घोषणा की है जिसके कारण पड़ोसी देश सर्बिया में बेचैनी बढ़ गई है। ज्ञातव्य है कि गत कई दशक से जारी गृह युद्ध के बाद सर्बिया के मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्र कोसोवो ने 18 फरवरी, 2008 में सर्बिया से अलग होने की घोषणा की थी और अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। मगर सर्बिया और कुछ अन्य देशों ने कोसोवो को मान्यता नहीं दी। डॉन समाचारपत्र के अनुसार कोसोवो की संसद ने यह फैसला किया है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए वह अपनी सेना बनाएगा। कोसोवो सुरक्षा बल को सेना का दर्जा दे दिया जाएगा जिसकी संख्या इस समय पांच हजार है। सर्बिया ने इस फैसले की आलोचना की है। मुसलमान देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन करके प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस्लाम की रक्षा के लिए सेना का होना बेहद जरूरी है। सर्बिया, नाटो और यूरोपीय युनियन ने इस फैसले की आलोचना की है। खास बात यह है कि अमेरिका ने इस फैसले का समर्थन किया है।

IV

सूफी संदेश अमन यात्रा

सहाफत (22 दिसम्बर 2018) के अनुसार महान सूफी संत मोईनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह से अंजुमन सैयदजदगान और अंजुमन यादगार के पदाधिकारियों के नेतृत्व में सूफी संदेश अमन यात्रा का काफिला दिल्ली पहुंचा। अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडिया गेट पर चरारे शरीफ के हजरत नुरुद्दीन नुरानी के मजार पर पेश होनेवाली चादर शरीफ की जियारत की और अमन यात्रा में भाग लेने वालों को बधाई दी। नकवी ने इस अवसर पर देश में शांति और समृद्धि की दुआ की और यह आशा व्यक्त की कि इस अमन यात्रा से देश में शांति, भाईचारा, विकास और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत एक बेहतर भारत बन सकेगा। उन्होंने कहा कि भाईचारा भारत का ईमान है और यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह से संबंधित दोनों संगठनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस यात्रा से कश्मीर में शांति, भाईचारा और प्यार तथा मानव मित्रता के संदेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान ने भी दरगाह से जुड़े हुए व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। यह चादर कश्मीर में चरारे शरीफ में दरगाह पर पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के हालात में सुफियों के संदेश द्वारा ही देश की एकता और सलामती की रक्षा की जा सकती है। इस अवसर पर सैयद बशीरुद्दीन चिश्ती, सैयद अफसान चिश्ती, सैयद फजल मोइन चिश्ती

और डॉ. माजिद चिश्ती ने भी इस यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज कश्मीर में जो हालात हैं उन्हें सूफियों की शिक्षा और शांति की संदेशों की बेहद जरूरत है। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान ने कहा कि वे कश्मीर में सूफियों द्वारा दिए गए शांति के संदेश को लेकर पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर दरगाह निजामुद्दीन औलिया के सूफी अजमल निजामी भी मौजूद थे।

दैनिक सहाफत (24 दिसम्बर) के अनुसार अजमेर शरीफ की दरगाह से चला सूफी संदेश अमन यात्रा आखिर कश्मीर घाटी के चरारे शरीफ में पहुंच गया। यहां पर हजरत नुरूद्दीन नुरानी की दरगाह पर पहुंचा और दरगाह पर अजमेर शरीफ से लाई हुई खूबसूरत सुनहरी चादर को पेश किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर में शांति के लिए विशेष दुआ मांगी गई। हमाद निजामी ने फातिया पेश किया। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान ने चिरार शरीफ के दरगाह से सम्बन्धित व्यक्तियों को अजमेर शरीफ तबर्रक पेश किये। उन्होंने कहा कि आज हर इंसान यह चाहता है कि कश्मीर घाटी में शांति हो। इस अवसर पर एक विशेष द्वार का भी आयोजन किया गया।

V

जकात फाउंडेशन यूपीएससी में बना सकता है मुस्लिम रिकॉर्ड

हमारा समाज (21 दिसम्बर) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने लिखित परिक्षाओं के नतीजों का ऐलान कर दिया है। पिछले साल 2017 में केन्द्र सरकार की नौकरियों में मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी का रिकॉर्ड दर्ज कराने वाला जकात फाउंडेशन इस साल भी अपना रिकॉर्ड बनाएगा। समाचारपत्रों के अनुसार 2018 में देश भर में छह लाख उम्मीदवारों ने केन्द्र सरकार की सिविल सर्विसेस के लिए परीक्षा दी थी। इसमें से दस हजार सफल हुए हैं। इनमें से दो हजार के लगभग मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इन उम्मीदवारों का अगले वर्ष फरवरी में इंटरव्यू होगा। मुस्लिम संगठनों के प्रयास के कारण यूपीएससी की परीक्षाओं में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। जकात फाउंडेशन के प्रमुख डॉ. जफर महमूद ने हमारा समाज को बताया कि मुसलमान छात्र एवं छात्राओं में योग्यता की कमी नहीं है। सवाल यह है कि उन्हें प्रशिक्षण सही दिया जाए। जकात फाउंडेशन उन मुस्लिम संगठनों में से एक है जो कि मुसलमान छात्र छात्राओं को यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए मुफ्त तैयारी करवाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें मुफ्त पुस्तकें, आवास और भोजन भी मुहैया कराते हैं। जमीयते उलेमा के सहयोग से जकात फाउंडेशन गाजियाबाद में एक संस्थान चला रही है। डॉ. जफर महमूद के अनुसार 2017 में जकात फाउंडेशन में 990 मुस्लिम छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें से 26 मुसलमान चुने गए थे। जबकि इन परीक्षाओं में चयन किए जाने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की कुल संख्या 50 थी। वैसे तो कई इस्लामी संस्थान मुस्लिम बच्चों को यूपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने का मुफ्त प्रशिक्षण देते हैं मगर इनमें से जामिया मिलिया इस्लामिया, हमदर्द स्ट्डीज सेंटर, हज कमेटी ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक मंत्रालय आदि प्रमुख हैं।

VI

अयोध्या में विवादित जगह पर नमाज की अनुमति देने से इनकार

इंकलाब (21 दिसम्बर) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या में रामजन्मभूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति देने से न सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि याचिकाकर्ता को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए उसपर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही फैजाबाद के जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह याचि से जुर्माना वसूल करे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी ने याचि के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि उसे इस तरह की

मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जिलानी का कहना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय कई बार यह निर्देश दे चुका है कि इस विवादित भूखंड पर यथास्थिति को बनाए रखा जाए तो भला उच्च न्यायालय उसे कैसे बदल सकता है? ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित गैरसरकारी संगठन अल रहमान ट्रस्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर करते हुए यह अनुमति मांगी थी कि अयोध्या के इस विवादित भूमि पर मुसलमानों को भी उसी तरह से नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए जिस तरह से हिन्दुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई है। याचि का यह तर्क था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में जो फैसला सुनाया था उसके तहत इस प्लॉट का एक तिहाई भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया था जिसपर मुसलमान नमाज पढ़ने का हक रखते हैं। जस्टिस डी.के. अरोड़ा और जस्टिस आलोक माथुर ने इस याचिका पर सख्त रूख अपनाते हुए न सिर्फ इसे रद्द कर दिया बल्कि याचि पर पांच लाख रूपये जुर्माना भी लगा दिया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी का कहना है कि अयोध्या भूमि अधिग्रहण एक्ट की धारा 7 (2) को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा था कि 7 जनवरी 1993 के दिन जो स्थिति थी उसे यथावत रखा जाए। इसके बाद 2002 में भी इसे सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया था। जफर याब जिलानी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले से जुड़े हुए विभिन्न मुस्लिम नेताओं के बीच इस मामले पर सोंच विचार हुआ था और अंत में यह निर्णय किया गया था इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती न दी जाए। उन्होंने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मामला है इसलिए मुसलमानों को बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए।

VII

पूर्वी अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले से 20 की मौत

इंकलाब (17 दिसम्बर) के अनुसार पुर्वी अफगानिस्तान में हुए अमेरिकी हवाई हमले में कम-से-कम 20 नागरिकों के मारे जाने की सूचना है जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सूत्रों के अनुसार चालू वर्ष में अफगानिस्तान पर विदेशी सैनिकों के हमले में मारे जाने वालों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दक्षिणी अफगानिस्तान में हुए एक आत्मघाती हमले में तालिबान के पांच आतंकवादी मारे गए हैं। कहा जाता है कि ये आतंकवादी जब सड़क को उड़ाने के लिए विस्फोटक लगा रहे थे तभी यह धमाका हुआ और पांचों आतंकवादी मारे गए।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

Latest Publications

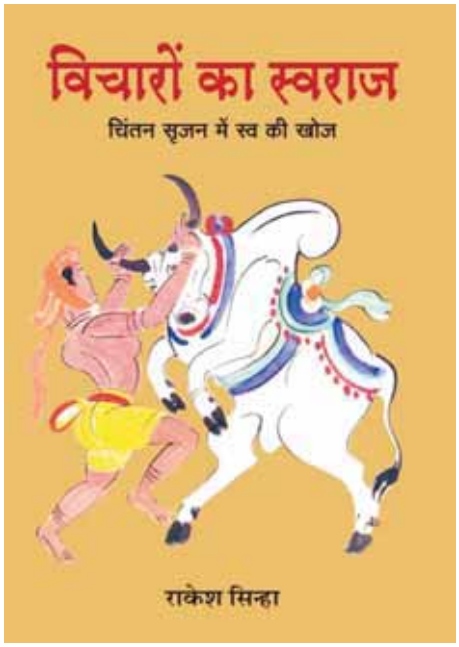

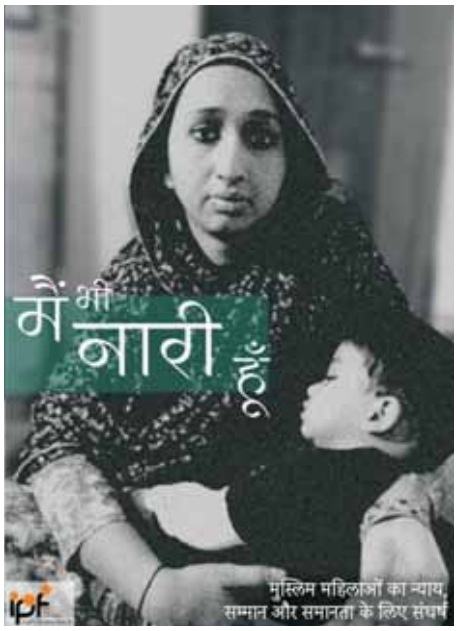

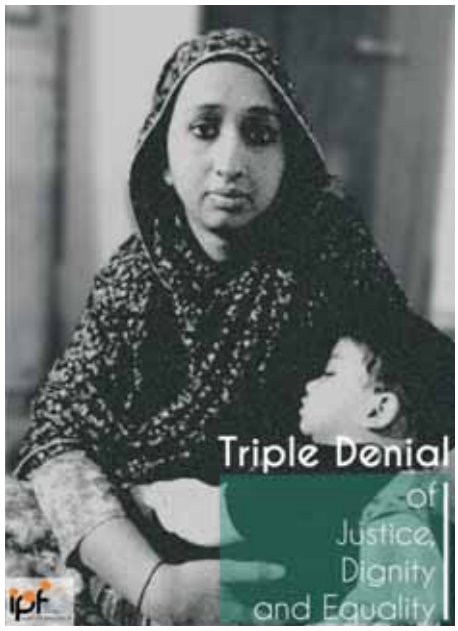

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org